

# सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०  
7वां तल पी.सी.एफ. भवन, 32-स्टेशन रोड, लखनऊ-226001  
Ph. No.: 0522-2630877, Fax No.:0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 282/सो.आ.नि.-195/2021

दिनांक: 20 जुलाई, 2022

अति महत्वपूर्ण/प्राथमिकता

प्रेषक,

निदेशक,

सोशल आडिट, उ०प्र०।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,

उ०प्र०।

**विषय:** पी०एफ०एम०एस० के अन्तर्गत जनपदों के लिए खोले गये खातों के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 181 एवं 182 दिनांक 13 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी०एफ०एम०एस० के अन्तर्गत खोले गये बैंक खातों के संचालन के सन्दर्भ में बैंक खातों की के०वाई०सी० पूर्ण कर सूचित करने के निर्देश दिये गये थे। के०वाई०सी० की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में अभी भी 30 जनपदों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसी क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या 250 दिनांक 12 जुलाई, 2022 द्वारा पी०एफ०एम०एस० के पोर्टल पर MAKER AND CHECKER बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में केवल 9 जनपदों (औरैया, बदायूं, गाजीपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, ललितपुर, मथुरा, प्रयागराज, रायबरेली) से MAKER AND CHECKER बनाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जनपद स्तर के बैंक खातों के शीघ्र संचालन हेतु उपरोक्त दोनों कार्यवाही त्वरित गति से किये जाने की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से जनपदों को धनावंटन किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है किन्तु जनपद स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के फलस्वरूप धनराशि का आवंटन जनपदों को किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। यहां पुनः इंगित किया जाना है कि शीघ्र प्राथमिकता पर जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाही पूर्ण किया जाना है:-

1. पी०एफ०एम०एस० के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में खोले गये बैंक खातों के संचालन हेतु के०वाई०सी० की कार्यवाही।
2. जनपद की लॉगिन आई०डी० से पी०एफ०एम०एस० के पोर्टल पर MAKER AND CHECKER बनाया जाना।
3. पी०एफ०एम०एस० के पोर्टल पर मेकर के लॉगिन से लाभार्थी/वेण्डर व अन्य भुगतान प्राप्तकर्ताओं (यथा जिला/ब्लाक सोशल आडिट कोऑर्डिनेटर, बी०आर०पी०, टीम सदस्य) के बैंक खाते का विवरण भरने की कार्यवाही।

आप अवगत होंगे कि पी०एफ०एम०एस० सम्बन्धित कार्यवाही के प्रचलित होने के फलस्वरूप मुख्यालय से किसी प्रकार की धनराशि का आवंटन विगत माहों से नहीं किया जा सका है। मुख्यालय स्तर पर धनराशि आवंटन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है किन्तु जनपद स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण धनराशि का प्रेषण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त कार्यवाही की समीक्षा हेतु निदेशक, सोशल आडिट की अध्यक्षता में ऑनलाइन समीक्षा बैठक दिनांक 27 एवं 28 जुलाई को प्रस्तावित है। जिसका लिंक आपको ई-मेल/वाट्सअप ग्रुप में प्रेषित किया जायेगा। बैठक का जनपदवार कार्यक्रम निम्नवत् है:-

क्रमांक	दिनांक	जनपद का नाम
1	27.07.2022	आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, श्रावस्ती, बस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, सन्तकबीर नगर, बहराइच, प्रयागराज, चन्दौली, वाराणसी, सन्तरविदास नगर, मीरजापुर, सुलतानपुर, अम्बेडकरनगर, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, अमेठी।
2	28.07.2022	आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बदायूं, बुलन्दशहर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, झांसी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, रामपुर, सम्भल, शामली, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, बरेली, चित्रकूट, कासगंज।

कृपया उक्त बैठक में समस्त सम्बन्धित MAKER AND CHECKER प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजीव कुमार सिन्हा)  
अपर निदेशक(वित्त)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(राजीव कुमार सिन्हा)  
अपर निदेशक(वित्त)